न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर–खीरी।

उपस्थित– शिव कुमार सिंह, (एच०जे०एस०)

ID No. UP5743

सत्र परीक्षण संख्या–361/2015

कम्प्यूटर पंजीकरण संख्या–100361/2015

UPLP010000212015

राज्य

बनाम

1. इच्छांश पाण्डे उर्फ बड़े भैइया पुत्र आलोक कुमार पाण्डे निवासी ढकिया मदन थाना नीमगांव, जिला खीरी।

2. अशोक कुमार पुत्र तेजकरन पाण्डे, निवासी ढकिया मदन थाना नीमगांव, जिला खीरी।

3. आलोक कुमार पाण्डे पुत्र तेजकरन पाण्डे, निवासी ढकिया मदन थाना नीमगांव, जिला खीरी।

मु०अ०सं०–410/2013

धारा–308, 325, 324, 323, 504 भा0द0सं0,

थाना–नीमगांव, जिला–लखीमपुर खीरी।

विद्वान शासकीय अधिवक्ता–श्री अरविन्द त्रिपाठी,

विद्वान बचाव पक्ष अधिवक्ता–श्री महेन्द्र पाल सिंह,

घटना की तिथि–06.05.2013

सत्र सुपुर्द की तिथि–20.05.2015,

आरोप विरचित किये जाने की तिथि–04.01.2016 व 02.08.2017

अभियोजन साक्ष्य अंकित किये जाने की तिथि–दिनांक 19.08.2018 से दिनांक 27.11.2025 तक

अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा–313 द0प्र0सं0, अंकित किये जाने की तिथि–29.11.2025

बहस की तिथि–16.05.2026 व 23.05.2026

निर्णय की तिथि–03.06.2026

# निर्णय

**1—** अभियुक्तगण इच्छांश पाण्डे उर्फ बड़े भैया, अशोक कुमार तथा आलोक कुमार पाण्डे का विचारण मुकदमा अपराध संख्या—410/2013, अन्तर्गत धारा—308, 325, 324, 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता, थाना—नीमगांव, जिला लखीमपुर खीरी के मामले में इस न्यायालय द्वारा किया गया।

## घटना का संक्षिप्त विवरण—

**2—** उक्त सत्र परीक्षण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि— वादी मुकदमा शिव कुमार पुत्र स्व0 पुत्तू लाल निवासी ढखिया मदन लखीमपुर—खीरी ने दिनांक 06.05.2013, को थाना नीमगांव पर मौखिक सूचना इस आशय की दी थी कि, प्रतिवादीगण से उसका चकरोड को लेकर विवाद चल रहा था, जिसकी पैमाइश करायी जा चुकी है फिर भी ट्रैक्टर उसके खेत से निकालते हैं, जिसको मना करने पर उसे लाठी—डण्डों से मारा—पीटा है, जिससे सिर में, बांये हाथ की कलाई में चोट आयी है। घटना को कई लोगों ने देखा है।

**3—** वादी की मौखिक सूचना के आधार पर अभियुक्तगण अशोक कुमार पाण्डेय, आलोक पाण्डेय तथा इच्छांश के विरूद्ध एन0सी0आर0 सं0—57/2013 प्रदर्श क—1, अन्तर्गत धारा 323, 504 भारतीय दंण्ड संहिता, थाना नीमगांव पर पंजीकृत की गयी थी। चोटहिल की आघात आख्या के आधार पर मामला मु0अ0सं0—410/2013, अन्तर्गत धारा—323, 504, 325 भा0द0सं0 में तरमीम किया गया। दौरान विवेचना, विवेचक ने केस डायरी में नकल तहरीर वादी, नकल रपट कायमी, नकल डाक्टरी मुआयना, एक्स—रे रिपोर्ट अंकित किया तथा एन0सी0आर0 लेखक का बयान अंकित किया। वादी मुकदमा तथा साक्षीगण का बयान अंकित करने के उपरान्त वादी मुकदमा की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण करके, नक्शा नजरी प्रदर्श क—8 तैयार किया तथा साक्षीगण के बयान अंकित किये। दौरान विवेचना संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त इच्छांश पाण्डे उर्फ बड़े भैया के विरूद्ध धारा—325, 323, 504, 324 भा0द0सं0 का अपराध पाते हुये आरोप पत्र सं0—103/2013 प्रदर्श क—6 तथा अभियुक्तगण अशोक कुमार व आलोक कुमार पाण्डेय के विरूद्ध धारा—308, 325, 324, 323, 504 भा0द0सं0 का अपराध प्रथमदृष्टया पाते हुये पूरक आरोप—पत्र सं0—108ए/2013 प्रदर्श क—4 सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

**<u>सुपुर्दगी आदेश–</u>**

**4–** न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखीमपुर–खीरी ने दिनांक–20.05.2015 को अभियुक्तगण के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या–410/2013 में प्रेषित आरोप पत्र प्रदर्श क–4 तथा प्रदर्श क–6 का अभियोग अनन्यतः सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय होने के कारण उक्त प्रकरण को सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया।

**<u>आरोप की धारायें–</u>**

**5–** न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–6 लखीमपुर–खीरी ने दिनांक 04.01.2016 को अभियुक्त इच्छांश पाण्डे उर्फ बड़े भैय्या के विरूद्ध आरोप, अन्तर्गत धारा–325, 324, 323, 504 भा0द0सं0 तथा अभियुक्तगण अशोक कुमार व आलोक कुमार पाण्डेय के विरूद्ध आरोप, अन्तर्गत धारा–308, 325, 324, 323, 504 भा0द0सं0 विरचित किये गये। अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये गये, जिन्होंने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की। तदोपरान्त अभियोजन की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 14ख, पर पारित आदेश दिनॉकित–24.04.2017 के अनुपालन में दिनॉक–02.08.2017, को अभियुक्त इच्छांश के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा–308 भा0द0सं0 विरिचत किया गया। अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिसने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

**<u>अभियोजन के मौखिक साक्षीगणः–</u>**

**6–** अभियोजन पक्ष ने अपने कथानक के समर्थन में मौखिक साक्षी के रूप में निम्न साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है–

| साक्षी संख्या | साक्षी का नाम | साक्षी का प्रकार |
|---|---|---|
| पी0डब्लू0–1 | शिव कुमार शुक्ला | वादी मुकदमा |
| पी0डब्लू0–2 | कुलदीप मिश्रा | तथ्य का साक्षी |
| पी0डब्लू0–3 | प्रदीप कुमार शुक्ला उर्फ सल्लू | तथ्य का साक्षी |
| पी0डब्लू0–4 | डा0 वी0के0 वर्मा | एक्स–रे करने वाला चिकित्सक |
| पी0डब्लू0–5 | डा0 अमित सिंह | चिकित्सीय आख्या तैयार करने वाला चिकित्सक |
| पी0डब्लू0–6 | निरीक्षक अच्छे लाल सरोज | मामले का अंतिम विवेचक |
| पी0डब्लू0–7 | निरीक्षक शैलेश सिंह | मामले का प्रारम्भिक विवेचक |
| पी0डब्लू0–8 | गुरवचन सिंह | एन0सी0आर0 व जी0डी0 साबित करनेव वाला साक्षी |

अन्य कोई मौखिक साक्ष्य अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

**अभियोजन के दस्तावेजी साक्ष्य–**

**7–** अभियोजन ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं –

| प्रदर्श संख्या | प्रपत्र का नाम | किसने साबित किया |
|---|---|---|
| प्रदर्श क–1 | एन0सी0आर0 की कार्बन प्रति | पी०डब्लू०–1 |
| प्रदर्श क–2 | एक्स–रे रिपोर्ट | पी०डब्लू०–4 |
| प्रदर्श क–3 | आघात आख्या | पी०डब्लू०–5 |
| प्रदर्श क–4 | अभियुक्तगण अशोक कुमार व आलोक कुमार पाण्डेय के विरूद्ध प्रेषित आरोप–पत्र | पी०डब्लू०–6 |
| प्रदर्श क–5 | नक्शा नजरी घटनास्थल | पी०डब्लू०–7 |
| प्रदर्श क–6 | अभियुक्त इच्छांश पाण्डे उर्फ बड़े भैया के विरूद्ध प्रेषित आरोप–पत्र | पी०डब्लू०–7 |
| प्रदर्श क–7 | एन0सी0आर0 की मूल प्रति | पी0डब्लू0–8 |
| प्रदर्श क–8 | तरमीमी जी0डी0 | पी0डब्लू0–8 |
| वस्तु प्रदर्श–1 | एक्स–रे प्लेट | पी0डब्लू0–4 |

**अभियुक्तगण की परीक्षा–**

**8–** अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्तगण इच्छांश पाण्डे उर्फ बड़े भैय्या, आलोक पाण्डेय तथा अशोक पाण्डेय के बयान अन्तर्गत धारा 313 दंण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांक 29.11.2025 को अभिलिखित किये गये, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से अभियोजन कथानक को गलत बताते हुये तथ्य के साक्षीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को गलत बताया तथा गलत विवेचना कर आरोप–पत्र प्रेषित किये जाने का कथन किया तथा स्वयं का निर्दोष बताते हुए रंजिशन मुकदमा लिखाए जाने का कथन किया है।

**सफाई साक्ष्य–**

**9–** अभियुक्तगण की ओर से सफाई साक्ष्य में कोई भी मौखिक अथवा दस्तावेजीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

**10–** अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण एवं राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता के तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना गया एवं

पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया गया।

**<u>अभियोजन का मौखिक साक्ष्य–</u>**

**11–** अभियोजन साक्षी सं०–1 शिव कुमार शुक्ला ने दिनांक 19.08.2016 को न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि घटना दिनॉक–06.05.2013 समय लगभग 01:30 बजे दिन की है। वह उस दिन घर पर था, उसका चकरोड को लेकर अशोक पाण्डेय से विवाद चल रहा था। इच्छांश पाण्डेय, अशोक कुमार के भतीजे हैं तथा इच्छांश पाण्डेय, अनूप कुमार के लड़के हैं। उसने शिखा पत्नी प्रवीण का खेत था, जिसे ठेके पर ले रखा था, जिसमें गन्ने की फसल बोई हुयी थी। घटना वाले दिन इच्छांश पाण्डेय उर्फ बड़े भैय्या उसी खेत में ट्रैक्टर निकाल रहे थे, जिसे उलाहना देने के लिए उनके घर जा रहा था कि उसके खेत से अपना ट्रैक्टर–ट्रॉली न निकाला करो। इसी बात को मुल्जिमान आलोक कुमार पाण्डेय, अशोक कुमार पाण्डेय व इच्छांश पाण्डेय भद्दी–भद्दी गालियॉ देने लगे और कहने लगे यह खेत तुम्हारा नहीं है। उसने कहा कि उसने गन्ना बोया है और शिखा, प्रवीन से ठेके पर लिया है। सभी मुल्जिमान एक राय होकर अशोक डण्डा व आलोक के हाथ में बांका, इच्छांश पाण्डेय के हाथ में बेलचा था, से उसे मारने–पीटने लगे। यह देखकर गॉव के सल्लू, सर्वेश, विजय गार्जियन प्रसाद आ गये और उसे बचाये, उसके गंभीर चोटें आयी थी। सिर पर चोट लगी थी तथा बांये हाथ में चोट आयी थी। सिर में फ्रैक्चर हो गया था फिर वह घटना की सूचना देने थाने पर गया था। थाने पर मुंशी जी ने उसके बोलने के आधार पर एन0सी0आर0 में मुकदमा पंजीकृत किया था। एन0सी0आर0 लिखने के बाद उसे मुंशी जी ने सुनाया था तब उसने उस पर हस्ताक्षर किये थे, जिसकी प्रति मुंशी जी ने उसे दिया था। एन0सी0आर0 की कार्बन प्रति वह अपने साथ लाया है, जिसे वह दाखिल कर रहा है। एन0सी0आर0 की कार्बन प्रति को साक्षी को दिखाया व पढ़कर सुनाया गया तो उसने कहा कि यही इबारत उसने बोलकर लिखायी थी, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। चोटहिल हालत में उसे पुलिस वालों ने जिला अस्पताल में भर्ती व एक्स–रे कराया था। दरोगा जी ने उसका बयान लिया था तथा मौका निरीक्षण किया था। उसे चोटहिल हालत में उसका लड़का तथा भतीजा सर्वेश व सल्लू लेकर गये थे।

**12–** अभियोजन साक्षी सं०–2 कुलदीप मिश्रा ने दिनांक 28.06.2018, को न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि दिनॉक–06.05.2013 का वह ग्राम

ढखिया मदन अपनी रिश्तेदारी में आया था। ढखियामदन गॉव में जब वह पहॅुचा, उसने देखा कि गॉव के शिव कुमार शुक्ला को अभियुक्तगण अशोक पाण्डे, आलोक पाण्डे, इच्छांश पाण्डे उर्फ बड़े भैय्या लाठी–डण्डा, बांका, बेलचा से मारपीट रहे थे। इच्छांश पाण्डे उर्फ बड़े भैय्या ने बेल्चा से शिव कुमार शुक्ला के सिर में मारा, जिससे उनके सिर में खून निकलने लगा और वह बेहोश होकर गिर पड़े। यह देखकर वह तथा अन्य लोगों ने शिव कुमार शुक्ला को उठाया और घर ले गये। वहॉ से थाने ले जाया गया। थाने से उन्हें डाक्टरी के लिए भेजा गया। बाद में बेहजम वाले दरोगा जी ने अशोक पाण्डे व आलोक पाण्डे का नाम निकाल दिया था तब वह वादी शिव कुमार शुक्ला के साथ अपर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय आया था, जहॉ पर उसके व सर्वेश चन्द्र के बयान हुये, बयान के बाद उसके हस्ताक्षर कराये गये थे। मारपीट वाली घटना का समय 01:30 बजे दिन का था। मारपीट वाली घटना उसने स्वयं देखी है। मारपीट के समय वह घटनास्थल पर पहॅुच गया था। मारपीट वाली घटना के समय गॉव के बहुत से लोग मौजूद थे। दरोगा जी ने घटना के संबंध में उसका बयान लिया था।

**13–** अभियोजन साक्षी सं०–3 प्रदीप कुमार शुक्ला उर्फ सल्लू ने दिनांक 12.09.2019 को न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि घटना दिनॉक–06.05.2013 की है, समय लगभग 01:30 बजे की है। शिव कुमार का चकरोड का विवाद गॉव के ही इच्छांश पाण्डेय, अशोक कुमार व आलोक के साथ चल रहा था। इसी बात को लेकर इच्छांश पाण्डे उर्फ बड़े भईया ने शिव कुमार द्वारा ठेके पर बोये हुये गन्ने के खेत में ट्राली निकाल दी, इस बात का उलाहना देने शिव कुमार, इच्छांश पाण्डेय के घर गये थे। वहीं पर घर के बाहर अचानक उसने मारपीट, गाली–गलौज का शोरगुल सुन देखा कि उसके गॉव के शिव कुमार शुक्ला को अशोक पाण्डे डण्डा लिए हुये हाथ में, आलोक कुमार पाण्डे हाथ में बांका लिए व इच्छांश पाण्डे उर्फ बड़े भैय्या अपने हाथ में बेलचा लिए हुये मारपीट रहे थे और गाली–गलौज कर रहे थे। इच्छांश पाण्डे अपने हाथ में लिए हुये बेलचे से शिव कुमार के सिर पर मारा, जिससे शिव कुमार शुक्ला के सिर से खून गिरने लगा और बेहोश होकर गिर गये, जिस पर वह सर्वेश, विजय, गारजन और यसकरन आदि बहुत से लोग मौके पर पहॅुच गये और शिव कुमार को बचाया और घर ले गये। घर से थाने गये, साथ में शिव कुमार भी थे। थाने पर रिपोर्ट लिखायी गयी, वहॉ से इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। बाद में दरोगा जी ने उसके बयान लिये

थे। शिव कुमार व उनके लड़के गॉव में स्थित खेत शिव बाजपेई का ठेके पर लिये हुये खेती कर रहे थे।

**14–** अभियोजन साक्षी सं०–4 डा0 वी0के0 वर्मा रेडियोलॉजिस्ट ने दिनांक 21.08.2023 को न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि वह दिनॉक–08.05.2013 को जिला चिकित्सालय खीरी में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत था। इस दिन चोटहिल शिव कुमार शुक्ला पुत्र स्व0 पुत्तू लाल निवासी ढखिया मदन थाना नीमगांव, जिला खीरी को होमगार्ड शिव भगवान मिश्रा थाना नीमगांव जिला खीरी उसके पास एक्स–रे हेतु लाये थे व पहचान की थी तथा जिसे ई0एम0ओ0 जिला चिकित्सालय, लखीमपुर–खीरी ने एक्स–रे हेतु संदर्भित किया था। चोटहिल शिव कुमार शुक्ला के सिर का एक्स–रे उसने अपनी देख–रेख में प्लेट सं0–1437 पर एक्स–रे टेक्नीशियन से करवाया था। एक्स–रे प्लेट के अनुसार खोपड़ी (स्कल) के पैराइटल क्षेत्र में कट फ्रैक्चर, एक्स–रे प्लेट में देखा गया था। एक्स–रे रिपोर्ट शामिल पत्रावली कागज सं0–क9 है, जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर चोटहिल का निशानी अंगूठा लगा है, जिसे उसने प्रमाणित किया है, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। एक्स–रे प्लेट शामिल पत्रावली है, जिस पर वस्तु प्रदर्श क–1 डाला गया।

**15–** अभियोजन साक्षी सं०–5 डा0 अमित सिंह ने दिनांक 20.10.2023 को न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि वह दिनॉक–06.05.2013 को जिला चिकित्सालय खीरी में आकस्मिक चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन थाना नीमगांव जिला खीरी से होमगार्ड शिव भगवान मजरूबी चिट्ठी के साथ मजरूब शिव कुमार को चिकित्सीय परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया था। उसी दिन समय 05:10 पी0एम0 को उसके द्वारा चोटहिल शिव कुमार शुक्ला का चिकित्सीय परीक्षण किया गया था।

चोट सं0–1 कटा हुआ घाव 2.8 सेमी0 X 0.5 सेमी0 हड्डी तक गहरा, जो कि सिर के बांयी तरफ स्थित था। घाव के किनारे शार्प कटे हुये थे, रेगुलर थे। घाव से ताजा खून का श्राव हो रहा था। उक्त घाव बांये कान से 06 सेमी0 ऊपर स्थित था। चोट सं0–1 को जरिये निगरानी रखते हुये एक्स–रे की सलाह दी गयी।

चोट सं0–2 नीलगू 04 सेमी0 X 02 सेमी0 बांयी तरफ गर्दन पर 02 सेमी0 बांये कान से नीचे स्थित।

चोट सं0–3 दर्द की शिकायत, बांये हाथ में। परीक्षण में कोई जाहिरा चोट नहीं पायी गयी।
चोर्ट सं0–4 दर्द की शिकायत दाहिने नितम्ब पर परीक्षण में कोई जाहिरा चोट नहीं पायी गयी।

चोट सं0–1 को जेरे निगरानी रखते हुये एक्स–रे की सलाह दी गयी। चोट सं0–2 सामान्य प्रकृति की थी। चोट सं0–1 किसी सख्त धारदार हथियार से आयी प्रतीत होती है। चोट सं0–2 किसी सख्त हथियार से आयी प्रतीत होती है। सभी चोटें ताजी प्रतीत हो रही थी। चिकित्सीय परीक्षण उसके हस्तलेख में है, जिस कि पत्रावली संलग्न है, जिस पर चोटहिल का निशानी अंगूॅठा लगा है, जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया।

**16–** अभियोजन साक्षी सं०–6 निरीक्षक अच्छे लाल सरोज ने दिनांक 15.11.2025 को सशपथ कथन किया है कि वह दिनॉक–02.04.2014 को थाना नीमगांव पर बतौर उपनिरीक्षक तैनात था। उस दिन उसने मु0अ0सं0–410/2013 अन्तर्गत धारा–308, 323, 324, 325, 504 भा0द0सं0 थाना नीमगांव की विवेचना ग्रहण की थी। उस दिन पूर्व प्रेषित आरोप–पत्र को पुनः विवेचना हेतु ग्रहण कर पूर्व किता किये गये पर्चो का अवलोकन करते हुये उसका सारांश केस डायरी पर अंकित किया था। दिनॉक–15.04.2014 को नामित अभियुक्तगण के घर पर जाकर तलाश की गयी। दिनॉक–07.05.2014 को नामित अभियुक्त अशोक कुमार पाण्डेय व आलोक कुमार पाण्डे का बयान लेकर केस डायरी पर अंकित किया था तथा अभियुक्तगण को दिनॉक–07.05.2014 को ही 41ए की नोटिस दी गयी थी। बेसिक शिक्षा अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने हेतु उसके द्वारा कार्यवाही की गयी थी। दिनॉक–26.05.2014 को बेसिक शिक्षा अधिकारी से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त अशोक कुमार पाण्डेय व आलोक कुमार पाण्डेय के विरूद्ध तमामी विवेचना, बयान वादी, बयान गवाहान निरीक्षण घटनास्थल एवं चिकित्सीय परीक्षण आख्या के अनुसार अशोक कुमार पाण्डे व आलोक कुमार पाण्डे के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–308, 323, 324, 325, 504 भा0द0सं0 थाना नीमगांव, जिला खीरी का अपराध बखूबी साबित होने पर उपरोक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं में आरोप–पत्र अपने हस्तलेख में तैयार कर वास्ते विचारण न्यायालय को प्रेषित किया था। उसके द्वारा प्रेषित आरोप–पत्र पत्रावली पर कागज सं0–क4, उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया।

**17—** अभियोजन साक्षी सं०—7 निरीक्षक शैलेश सिंह ने दिनांक 25.11.2025 को न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि, वह दिनॉक—25.08.2013 को थाना नीमगॉव की पुलिस चौकी बेहजम पर प्रभारी के पद पर तैनात था। उस दिन उसने मुकदमा अपराध सं0—410/2013 अन्तर्गत धारा—325, 323, 504 भा0द0सं0, थाना नीमगांव विरूद्ध अशोक कुमार पाण्डेय आदि ग्रहण कर नकल चिक, नकल रपट, इंजरी रिपोर्ट व एक्स—रे रिपोर्ट मजरूब शिव कुमार शुक्ला का अवलोकन कर उसका तस्करा केस डायरी पर किया था। इसी दिन उसने एफ0आई0आर0 लेखक कॉ0 मोहर्रिर गुरवचन सिंह का बयान लेकर केस डायरी पर अंकित किया था। दिनॉक—04.09.2013 को मुकदमा वादी शिव कुमार का बयान एवं समयी साक्षी राजू व बाबूराम का बयान लेकर केस डायरी पर अंकित किया था तथा वादी मुकदमा की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी अपने हस्तलेख में तैयार कर उस पर अपने हस्ताक्षर बनाये थे। उसके द्वारा तैयार नक्शानजरी पत्रावली पर कागज सं0—क7, उसके समक्ष उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क—5 डाला गया। दिनॉक—16.09.2013 को गवाह सोनू, विनोद शुक्ला, पवनात्मज कुमार, राम शंकर रैदास, राम सनेही रैदास, सुनील कुमार, रमेशुर, रामपाल, राकेश कुमार, अनुराग मिश्रा का बयान लेकर केस डायरी पर अंकित किया था। दिनॉक—21.09.2013 को बयान गवाह मनोज कुमार शुक्ला, राजीव कुमार बाजपेई, नन्हे रैदास, नरेन्द्र देव पाण्डेय, रामकुमार पाण्डेय, विशाल पाण्डेय, श्रीमती गीता रानी का बयान लेकर केस डायरी पर अंकित किया था। दिनॉक—04.10.2013 को गवाह श्रीमती नन्दरानी, शकुन्तला, विद्यावती, राजाबाबू, रामरती, संगीता और सुमेर चन्द्र का बयान लेकर केस डायरी पर अंकित किया था। दिनॉक—15.10.2013 को आरोपी आलोक कुमार पाण्डे व अशोक कुमार पाण्डे का बयान लेकर केस डायरी पर अंकित किया था। चिकित्सीय परीक्षण आख्या के अवलोकन से मजरूब शिव कुमार को धारदार हथियार से चोट पहुॅचायी गयी। अतः अन्तर्गत धारा—324 भा0द0सं0 की बढ़ोत्तरी की गयी तथा आरोपी अशोक कुमार व आलोक कुमार को घटना में न शामिल होना पाये जाने पर नामजदगी गलत पाये जाने पर उसके द्वारा बजरिये रपट सं0—16 विवेचना से उक्त दोनों आरोपियों का नाम प्रथक किया गया था। दिनॉक—17.10.2013 को आरोपी इच्छांश पाण्डे का बयान लेकर केस डायरी पर अंकित किया था। तमामी विवेचना, बयान वादी, बयान गवाहान, निरीक्षण घटनास्थल, इंजरी रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त इच्छांश

पाण्डे उर्फ बड़े भैय्या पुत्र आलोक कुमार पाण्डेय निवासी ढखिया मदन थाना नीमगांव, के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–325, 323, 324, 504 भा0द0सं0 का अपराध बखूबी साबित होने पर उपरोक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं में आरोप–पत्र तैयार कर न्यायालय को वास्ते विचारण प्रेषित किया था। पत्रावली पर आरोप–पत्र उसके समक्ष उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया। दिनॉक–09.12.2013 को उक्त अपराध में एक्स–रे रिपोर्ट के आधार पर अन्तर्गत धारा–308 भा0द0सं0 विरूद्ध इच्छांश पाण्डेय बखूबी साबित होने पर उसने एस0सी0डी0 पर्चा सं0–1 किता कर उसके द्वारा पूर्व प्रेषित आरोप–पत्र सं0–108 दिनॉकित–17.10.2013 में धारा–308 भा0द0सं0 की बढोत्तरी किये जाने हेतु माननीय न्यायालय से अनुरोध किया। उसे यह जानकारी है कि उसके द्वारा मु0अ0सं0–410/2013 की विवेचना में आरोप–पत्र प्रेषित करने के उपरान्त उक्त मुकदमें की पुनः विवेचना हुयी थी। अशोक कुमार व आलोक कुमार पाण्डेय के विरूद्ध उस विवेचना में आरोप–पत्र अन्तर्गत धारा–308, 323, 324, 325, 504 भा0द0सं0 प्रेषित हुआ था।

**18–** अभियोजन साक्षी सं०–8 गुरवचन सिंह ने दिनांक 27.11.2025 को न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि वह दिनॉक–06.05.2013, को थाना नीमगांव पर बतौर कॉ0 मोहर्रिर तैनात था, इस दिन शिव कुमार पुत्र स्व0 पुत्तूलाल निवासी ढखिया मदन, थाना नीमगांव जिला खीरी चोटहिल हालत में उसके समक्ष आकर बताया था। उसने जुबानी वादी एन0सी0आर0 57/2013 अन्तर्गत धारा–323, 504 भा0द0सं0 में पंजीकृत किया था। वादी के बोलने के अनुसार उसने एन0सी0आर0 दर्ज की थी। उसके द्वारा दर्ज एन0सी0आर0 कागज सं0–क5 पत्रावली पर उसके समक्ष है, उसके लेख में है, जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया। इस मुकदमें की तरमीमी जी0डी0 का इन्द्राज उसके साथ तैनाम रहे कॉ0 मोहर्रिर विजय सिंह के द्वारा दिनॉक–25.08.2013 को समय 15:40 बजे थाना नीमगांव के रोजनामचा आम की रपट सं0–17 पर किया था। उनके द्वारा एक ही प्रक्रिया में तैयार कार्बन प्रति कागज सं0–ख3 पत्रावली पर उसके समक्ष है, जो कॉ0 विजय सिंह के लेख व हस्ताक्षर में है, जिनके लेख व हस्ताक्षर को वह भली–भॉति पहचान कर पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क–8 डाला गया। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

**<u>अभियोजन तर्क–</u>**

**19–** दौरान बहस जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि, वादी मुकदमा का अभियुक्तगण से चकरोड को लेकर विवाद चल रहा था, जिसकी पैमाइश करायी जा चुकी है फिर भी अभियुक्तगण घटना की दिनॉक व समय पर ट्रैक्टर–ट्राली वादी के खेत से निकाल रहे थे, जिसको मना करने पर वादी मुकदमा को अभियुक्तगण ने एक राय होकर लाठी–डण्डों से मारा–पीटा, जिससे उसके शरीर पर चोटें आयी। प्रश्नगत घटना में वादी मुकदमा को गंभीर चोटें कारित हुयी हैं। घटना के उपरान्त चोटहिल वादी मुकदमा द्वारा स्वयं थाने जाकर मौखिक सूचना के आधार पर एन0सी0आर0 दर्ज करायी गयी है, जहॉ से उसको प्राथमिक चिकित्सा हेतु पी0एच0सी0 बेहजम भेजा गया तथा बेहजम से जिला अस्पताल लखीमपुर–खीरी को रेफर किया गया, जहॉ उसका चिकित्सीय परीक्षण हुआ। प्रश्नगत घटना के मजरूब वादी मुकदमा व प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन कथानक का पूर्ण रूप से समर्थन किया है। अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध मामला युक्तियुक्त ढंग से संदेह से परे प्रमाणित है। अभियुक्तगण द्वारा गंभीर अपराध कारित किया गया है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।

**<u>बचाव पक्ष के तर्क–</u>**

**20–** बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण ने अभियोजन तर्कों का खण्डन करते हुये, यह तर्क प्रस्तुत किये कि घटना की तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई उचित स्पष्टीकरण वादी ने अपनी साक्ष्य में नहीं दिया है। अभियोजन साक्षीगण एक ही परिवार के हितबद्ध साक्षी हैं। अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य में गंभीर विरोधाभाष है। मजरूबान के साधारण चोटें कारित हुई हैं। अभियुक्तगण से किसी भी हथियार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। अभियुक्तगण को रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण निर्दोष हैं, उन्हें बइज्जत बरी किया जाए। बचाव पक्ष की ओर से अपने कथनों के समर्थन में निम्नलिखित विधि व्यवस्थाये दाखिल की गयी–

(1) Muneshwar Singh Vs State of U.P. Cr. A. No. 1798 of 1999 Allahabad High Court.

(2) Matlab Ali Vs. State Criminal Appeal No. 175 of 1971

(3) Dinesh and another Vs. State of Haryana (2018) 2 Supreme Court Cases (cri) 423

(4) Mohd. Muslim Vs State of U.P (Now Uttarakhand) 2023(124) ACC 932

(5) Pankaj Vs. State of Rajasthan 2016(96) ACC 1004 (SC)

(6) Jaikam Khan Vs. State of U.P. 2022(1) JIC 289(SC)

(7) Ram Jash Vs. State of U.P & anr. 2011(1) JIC 23 (All)

**21–** इस संबंध में उल्लेखनीय है कि बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस अभियोजन साक्ष्य की गुणवत्ता व विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगाये गये हैं, इसलिए बचाव पक्ष की ओर से दौरान बहस उठाये गये बिन्दुओं के संबंध में, अभियोजन साक्ष्य की संवीक्षा किया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है।

**22–** दौरान बहस अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि वादी पी0डब्लू0–1, ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि उसकी चोटों से खून निकल रहा था, उसके कपड़ो में खून लग गया था, उसके खून लगे कपड़े दरोगा जी ने कब्जे में नहीं लिया था, उसने खून लगे कपड़े दरोगा जी को दिखा दिये थे, परन्तु अभियोजन पक्ष ने मजरूब के खून आलूदा कपड़े तथा खून आलूद मिट्टी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए हैं, जो अभियोजन कथानक को संदेहास्पद बनाता है।

**23–** उक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वादी शिव कुमार पी0डब्लू0–1, ने दौरान जिरह अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि उसकी चोटों से खून निकल रहा था, उसके कपड़ों में खून लग गया था, उसके खून लगे कपड़े दरोगा जी ने कब्जे में नहीं लिया था, उसने खून लगे कपड़े दरोगा जी को दिखा दिये थे। दौरान जिरह साक्षी ने आगे कथन किया कि मारपीट के समय जहॉ खून गिरा था, वह जगह उसने दरोगा जी को दिखायी थी। इसी प्रकार पी0डब्लू0–2 ने दौरान जिरह कथन किया है कि शिवकुमार का पूरा शरीर चोटों से लहू लुहान था। इस प्रकार वादी मुकदमा पी0डब्लू0–1 तथा पी0डब्लू0–2 के उपरोक्त बयान से यह तथ्य स्पष्ट है कि, प्रश्नगत घटना में उसकी चोटों से खून निकला था, जो उसके कपड़ों पर लग गया था, जिसे उसने दरोगा जी को दिखाया था, परन्तु पत्रावली के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि, विवेचक ने मजरूब के उपरोक्त खून आलूदा कपड़ो को दौरान विवेचना संकलित नही किया है, जो अभियोजन कथानक को साबित करने के उद्देश्य से संपुष्टक साक्ष्य के तौर पर सुसंगत हो सकते थे। विवेचक का खून आलूदा कपड़ों को एकत्रित न किया जाना,

उसके द्वारा सम्पादित त्रुटिपूर्ण विवेचना की ओर इशारा इंगित करता है। जहॉ तक उक्त साक्ष्य के संकलित न किये जाने के प्रभाव का प्रश्न है, इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **कर्नाटक राज्य बनाम यारप्पा रेड्डी ए0आई0आर0 2000 एस0सी0 पृष्ठ–185, खेमराम बनाम स्टेट आफ हिमांचल प्रदेश (2018 (1) एस0सी0सी0 पृष्ठ 202 तथा हेमा बनाम स्टेट 2013 (81) ए0सी0सी0–1 एस0सी0 3 न्यायधीश पीठ** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि विवेचना त्रुटिपूर्ण है तो वह सत्यवादी, विश्वसनीय साक्षियों को तिरस्कृत करने का आधार नहीं हो सकती है। दाण्डिक विचारण में विवेचना ही एक मात्र छानबीन का क्षेत्र नहीं है तथा दाण्डिक न्यायालय का निष्कर्ष केवल विवेचना की सत्यता पर ही आधारित नहीं हो सकता है, दाण्डिक विचारण को विवेचक की मर्जी पर आश्रित रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, विवेचक द्वारा जानबूझ कर या अन्जाने में की गयी त्रुटियों को विचारण में आकस्मिकता नहीं बनाया जा सकता है अर्थात् जांच अधिकारी द्वारा विवेचना में की गयी अनियमितता अथवा कमी के आधार पर अभियोजन कथानक को खारिज नहीं किया जा सकता है, विशेषकर उस स्थिति में जब अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत होती हो।

इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के उपरोक्त सिद्धान्त के आलोक में विवेचक द्वारा खून आलूदा कपड़ों को कब्जे मे न लिए जाने मात्र से ही सम्पूर्ण अभियोजन कथानक को तिरस्कृत नहीं किया जा सकता है। तद्नुसार न्यायालय अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्क में कोई बल नहीं पाती है।

**24–** दौरान बहस अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियोजन साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में अभियुक्तगण के हाथों में जो हथियार दर्शित किये हैं, उनमें एक–दूसरे से भिन्नता है। इसके अतिरिक्त साक्षीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में इस तथ्य को लेकर भी विरोधाभाष है कि किस अभियुक्त ने किस चुटैल को चोट पहुॅचायी थी, जो अभियोजन कथानक को सन्देहास्पद बनाता है।

**25–** उक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि एन0सी0आर0 प्रदर्श क–1 में अभियुक्तगण द्वारा लाठी–डण्डों से मारे–पीटे जाने का कथन अंकित है। पी0डब्लू0–1 शिव कुमार शुक्ला ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मुल्जिमान अशोक डण्डा, आलोक

बांका, इच्छांश पाण्डे बेलचा से उसे मारने–पीटने लगे। इसी क्रम में पी0डब्लू0–2 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि जब वह पहुॅचा तो उसने देखा कि गॉव के शिव कुमार शुक्ला को अभियुक्तगण अशोक पाण्डे, आलोक पाण्डे, इच्छांशू पाण्डे उर्फ बड़े भइया लाठी, डण्डा, बांका व बेलचा से शिव कुमार शुक्ला के सिर में मारा, जिससे उनके सिर से खून निकलने लगा और वह बहोश होकर गिर पड़े। इसी क्रम में पी0डब्लू0–3 प्रदीप कुमार शुक्ला उर्फ सल्लू ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसने देखा कि उसके गॉव के शिव कुमार शुक्ला को अशोक पाण्डेय डण्डा लिए हुए, आलोक कुमार पाण्डेय हाथ में बांका लिए व इच्छांश पाण्डे उर्फ बड़े भइया अपने हाथ में बेलचा लिए हुये मारपीट रहे थे। इस प्रकार एन0सी0आर0 व साक्षीगण की साक्ष्य से भी यह स्पष्ट नहीं है कि घटना के समय कौन मुल्जिम किस हथियार को लिये हुये थे। एन0सी0आर0 के अनुसार अभियुक्तगण लाठी–डण्डे से मारपीट रहे थे, जबकि चोटहिल ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्तगण द्वारा डण्डा, बांका व बेलचा से मारने का कथन किया है, अर्थात् अभियोजन साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में मुल्जिमानों के हाथों में जिन हथियारों का उल्लेख किया है, उनमें भिन्नता परिलक्षित होती है। इसके अतिरिक्त साक्षीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अवलोकन से यह भी स्पष्ट नहीं है कि घटना में किस अभियुक्त की क्या विशिष्ट भूमिका थी, बल्कि केवल इतना ही परिलक्षित होता है कि सभी अभियुक्तगण ने सक्रिय रूप से प्रश्नगत घटना में सहभागिता की है। जहॉ तक अभियोजन साक्ष्य में उपरोक्त भिन्नता व अभियुक्तगण की किसी विशिष्ट भूमिका का अस्पष्ट होने के प्रभाव का प्रश्न है, इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **भरवदा भोगनी भाई हिरजी भाई बनाम स्टेट ऑफ गुजरात 1983 सी0आर0एल0जे0 एस0सी0 पृष्ठ 1096, लीला बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा 1955 एस0सी0 पृष्ठ 3717** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि विधिनुसार किसी गवाह से फोटोग्राफिक मैमोरी रखने और घटना के विवरण को याद रखने की उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि आम तौर पर जब किसी व्यक्ति के साथ घटना कारित होती है अथवा वह घटना से घिर जाता है तो वह व्यक्ति घटना का अनुमान नहीं लगा सकता है क्योंकि किसी भी सामान्य व्यक्ति की मानसिक क्षमताओं से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह घटना के विवरणों को आत्मसार करने के लिए तैयार रहे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अवलोकन की शक्ति भिन्न–भिन्न होती है। एक व्यक्ति जो

नोटिस कर सकता है, वह दूसरा नहीं कर सकता है। कोई वस्तु या हरकत एक व्यक्ति के दिमाग में अपनी छवि बना सकती है, वहीं दूसरी ओर उक्त छवि को दूसरा व्यक्ति अनदेखी कर सकता है। इस कारण आम तौर पर एक व्यक्ति लोगों की बातचीत को सही तौर पर याद नहीं रख सकता है और न ही उसके द्वारा सुने सुनाये शब्दों को दोहराया जा सकता है अर्थात विधि साक्षी से यह अपेक्षा नहीं करती है कि वह घटनाओं के अनुक्रम को ठीक–ठीक से याद रखे जो तेजी से या कम समय में घटित होती हैं। ऐसी स्थिति में गवाहों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में विरोधाभाष आना स्वाभाविक है। इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में अभियोजन साक्षीगण की उपरोक्त साक्ष्य में घटना के समय अभियुक्तगण के हाथों में हथियारों को लेकर जो विरोधाभाष है एवं अभियुक्तगण की घटना में विशिष्ट भूमिका निभाए जाने का जो लोप है, उससे अभियोजन कथानक पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। तद्नुसार न्यायालय अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्क में कोई बल नहीं पाती है।

**26–** दौरान बहस अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि, अभियोजन कथानक अनुसार घटना के समय अभियुक्तगण के पास लाठी, डण्डा, बांका व बेलचा हथियार थे, परन्तु अभियोजन ने घटना में प्रयुक्त किसी भी हथियार को न्यायालय में पेश नहीं किया है, जो अभियोजन कथानक पर संदेह उत्पन्न करता है।

**27–** उक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि, विवेचक ने दौरान विवेचना अभियुक्तगण से घटना में प्रयुक्त किसी भी हथियार अथवा वस्तु की बरामदगी नहीं की है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **ननकू बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 2016(3)एस0सी0सी0 पृष्ठ–317, (तीन जज खण्डपीठ), मृत्युंजय विश्वास बनाम प्रवण उर्फ कुटी विश्वास आदि, ए0आई0आर0 2013 ए0सी0 पृष्ठ–3334** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि, यदि अभियोजन द्वारा चिकित्सीय साक्ष्य से समर्थित निर्विवाद नेत्र साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है, ऐसी स्थिति में घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद न किये जाने का कोई प्रतिकूल प्रभाव अभियोजन कथानक पर नहीं पड़ता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत घटना के चोटहिल साक्षीगण ने अपनी

साक्ष्य में घटना का जीवन्त दृष्टांत प्रस्तुत किया है, जिसका समर्थन मजरूबान की चिकत्सीय आख्याओं से भी होता है। तद्नुसार विवेचक द्वारा प्रश्नगत घटना में प्रयुक्त हथियार लाठी, डण्डा, बांका व बेलचा की अभियुक्तगण से बरामदगी न कराये जाने का कोई प्रतिकूल प्रभाव अभियोजन कथानक पर नहीं पड़ता है। तद्नुसार न्यायालय, अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के उक्त तर्क में कोई बल नहीं पाती है।

**28—** दौरान बहस अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि, अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा—308, 325, 324, 323, 504 भा0द0सं0, के अपराध को युक्तियुक्त ढंग से संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।

**29—** उक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि, अभियोजन पक्ष ने अपने कथानक को साबित करने हेतु तथ्य के गवाहान के रूप में कुल तीन साक्षीगण को न्यायालय में परीक्षित कराया है, जिनमें से साक्षी शिव कुमार शुक्ला पी0डब्लू0—1 वादी मुकदमा को चोटहिल साक्षी के रूप में तथा साक्षी कुलदीप मिश्रा पी0डब्लू0—2 तथा साक्षी प्रदीप कुमार शुक्ला उर्फ सल्लू पी0डब्लू0—3 को घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में परीक्षित कराया गया है, इसलिए न्यायालय को उपरोक्त साक्षीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर ही अभियुक्तगण की प्रश्नगत मामले में संलिप्तता का निर्धारण करना है।

**30—** इस संबंध में एन0सी0आर0 प्रदर्श क—1, में वर्णित कथनानुसार अभियुक्तगण से वादी मुकदमा का चकरोड को लेकर विवाद चल रहा था, जिसकी पैमाइश करायी जा चुकी है फिर भी ट्रैक्टर उसके खेत से निकालते हैं, जिसको मना करने पर उसे लाठी—डण्डों से मारा—पीटा, जिससे वादी के सिर में, बांये हाथ की कलाई में चोट आयी।

**31—** वादी मुकदमा शिव कुमार शुक्ला पी0डब्लू0—1, ने एन0सी0आर0 प्रदर्श क—1, को प्रमाणित करते हुये, अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि, घटना दिनॉक—06.05.2013 समय डेढ़ बजे दिन की है, वह उस दिन घर पर था, उसका चकरोड को लेकर अशोक पाण्डेय से विवाद चल रहा था। इच्छांश पाण्डेय, अशोक कुमार के भतीजे हैं तथा इच्छांश पाण्डे आलोक कुमार के लड़के हैं। उसने शिखा पत्नी प्रवीण का खेत था, जिसे ठेके पर ले रखा था, जिसमें गन्ने की फसल बोई हुयी थी। घटना वाले दिन इच्छांश पाण्डे उर्फ बड़े भइया उसी खेत में ट्रैक्टर निकाल रहे थे, जिसे उलाहना देने

के लिए उनके घर जा रहा था कि उसके खेत से अपना ट्रैक्टर–ट्राली न निकाला करो। इसी बात से मुल्जिमान आलोक कुमार पाण्डेय, अशोक कुमार पाण्डे व इच्छांश पाण्डे भद्दी–भद्दी गालियॉ देने लगे और कहने लगे, यह खेत तुम्हारा नहीं है। वादी ने कहा कि उसने गन्ना बोया है और शिखा प्रवीण से ठेके पर लिया है। सभी मुल्जिमान एक राय होकर मुल्जिमान अशोक अपने हाथ में डण्डा, आलोक के हाथ में बांका व इच्छांस पाण्डे के हाथ में बेलचा से उसे मारने–पीटने लगे। यह देखकर गॉव के सल्लू, सर्वेश, विजय, गार्जियन प्रसाद आ गये और उसे बचाये, जिससे गंभीर चोटें आयी थी। सिर पर चोट लगी थी तथा बांये हाथ में चोट आयी थी। सिर में फ्रैक्चर हो गया था। <u>दौरान जिरह</u> साक्षी ने पृष्ठ–5 पर कथन किया है कि उसकी बहू संगीता ने गॉव भूपतपुर में प्रेरक पद के लिए आवेदन किया था। भूपतपुर स्कूल के प्रधान अध्यापक अशोक कुमार पाण्डे थे, जो अभियुक्त हैं, वह उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक थे, प्रेरक पद की जो नियुक्ति होनी थी, उसके सदस्य/सचिव थे। यह प्रधानाध्यापक अशोक कुमार पाण्डे वह हैं, जो इस मुकदमें में अभियुक्त हैं। वह नहीं बता सकता कि उसकी बहू का चयन किस सन् में हुआ था। उसने इस मुकदमें में कुछ व्यक्तियों के शपथपत्र दाखिल करवाये थे। बहू की चयन प्रक्रिया में अशोक कुमार तत्कालीन प्रधानाध्यापक ने शिकायत की थी, जिसकी उसे जानकारी नहीं है। यह कहना गलत है कि दिनॉक–03.07.2012 को प्रेरक पद के चयन की बैठक होनी थी, लेकिन प्रधान के घर में जेठानी की मृत्यु हो गयी थी, जिसमें बैठक रूक गयी थी, उसमें उसने और संगीता के पति श्रीनिवास ने मीटिंग में जाकर कोई हंगामा किया हो और जिसकी शिकायत अशोक कुमार ने खण्ड शिक्षा अधिकारी को की हो। आगे पृष्ठ–6 पर दौरान जिरह कथन किया है कि यह कहना गलत है कि उसने इसी रंजिश के कारण अशोक कुमार व उनके भाई आलोक कुमार तथा भतीजे इच्छांश के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखा दी हो। <u>दौरान जिरह</u> पृष्ठ–8 पर कथन किया है कि चकरोड का कोई विवाद नहीं था, उसकी और अशोक पाण्डेय की बात–चीत चल रही थी। उसने शिखा पत्नी प्रवीण का खेत बटाई पर ले रखा था। आगे पृष्ठ–9 पर साक्षी ने कथन किया है कि जिस जगह पर उसका व शिखा का खेत है, उसी जगह पर अशोक पाण्डे, इच्छांश पाण्डे, आलोक पाण्डे का खेत है। आगे पृष्ठ–11 पर साक्षी ने कथन किया है कि घटना के करीब 15 मिनट बाद वह रिपोर्ट लिखाने गया था। वह रिपोर्ट लिखाने मोटर साइकिल से गया था, रिपोर्ट लिखाने वह, सर्वेश व

उसका लड़का सल्लू उर्फ प्रदीप गये थे। मोटर साइकिल उसका लड़का चला रहा था। दूसरी मोटर साइकिल उसका लड़का चला रहा था। थाने पर वे लोग 02:30 बजे पहुॅचे थे। उसने लिखित दरखास्त थाने पर नहीं दी थी। रिपोर्ट लिखाने में करीब 10–12 मिनट लगे थे। उसके बाद वह बेहजम चला गया था। बेहजम से वह जिला अस्पताल गया था। नीमगॉव थाने से बेहजम करीब नौ किलोमीटर दूर है। बेहजम में वह पौने चार बजे पहुॅचा था। अस्पताल में वह 2–3 मिनट रूका था। आगे पृष्ठ–12 पर कथन किया है कि बेहजम से वह 04:00 बजे चला था। बेहजम में उसका कोई प्राथमिक उपचार नहीं हुआ था। जिला अस्पताल में पौने पॉच बजे पहुॅच गया था।

दौरान जिरह साक्षी ने पृष्ठ–15 पर कथन किया है कि चोट लगने के दो–तीन मिनट बाद वह बेहोश हुआ था। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। चोट लगी तो उसके खून बह रहा था, वह खून उसके कपड़ो पर गिरा था और जमीन पर भी गिरा था। जब लोग उसे उठाकर ले गये तो वह बेहोश था। उसे सर्वेश, सल्लू उर्फ प्रदीप उठाकर ले गये थे। आगे पृष्ठ–16 पर साक्षी ने कथन किया है कि बेहजम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है जो थाना नीमगांव के अन्तर्गत आता है। पहले वह नीमगॉव गया फिर वहॉ से पी0एच0सी0 बेहजम भेजा गया, पी0एच0सी0 बेहजम में उसका प्राथमिक उपचार नहीं किया गया। पी0एच0सी0 बेहजम वह 03:45 पी0एम0 पर पहुॅचा था, वहॉ से लखीमपुर के लिए वह 04:00 पी0एम0 पर चला था। लखीमपुर से बेहजम 12–13 किलोमीटर है। लखीमपुर वह 04:45 पी0एम0 पर पहुॅचा था। बेहजम से वह मोटर साइकिल से गया था। लखीमपुर में उसका प्राथमिक उपचार हुआ था। इसी पृष्ठ पर आगे कथन किया है कि वह बता सकता है कि किस व्यक्ति ने उसे कितनी बार मारा था। कुल चार प्रहार उसके ऊपर हुये थे। उसके ऊपर चार प्रहार हुये थे, यह बात उसने विवेचक को नहीं एस0पी0 को बताया था। आगे पृष्ठ–17 पर दौरान जिरह साक्षी ने कथन किया है कि यह कहना गलत है कि ऐसी कोई घटना, घटनास्थल पर हुयी ही नहीं हो। यह कहना गलत है कि वह झूठी गवाही दे रहा है। यह कहना गलत है कि शिखा की कोई भूमि उसने बटाई या ठेके पर न ली हो। यह कहना गलत है कि भूपतिपुर विद्यालय में अशोक कुमार पाण्डेय प्रधानाध्यापक थे और वह अपनी बहू को शिक्षा मित्र की नौकरी दिलाना चाहता था और उन्होने उसके बहू के प्रतिकूल आख्या दी थी, इसीलिए उसने अशोक कुमार पाण्डे व उनके परिवार के विरूद्ध झूठा मुकदमा दर्ज कराया हो। यह कहना

गलत है कि उसके कोई गंभीर चोट न हो और फर्जी चोटों बनवाकर मुकदमा कायम कराया हो। यह कहना गलत है कि उसने रंजिशन झूठा व फर्जी मुकदमा दर्ज कराया हो। इस प्रकार साक्षी के उपरोक्त बयान से यह परिलक्षित होता है कि साक्षी घटना का चुटैल साक्षी है, जिसने अपनी साक्ष्य में अभियोजन कथानक का पूर्ण रूप से समर्थन किया है।

**32–** इसी क्रम में कुलदीप मिश्रा पी0डब्लू0–2, जिसे घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होना कहा जाता है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि, दिनॉक–06.05.2013 का वह ग्राम ढखिया मदन अपनी रिश्तेदारी में आया था। ढखियामदन गॉव में जब वह पहुॅचा, उसने देखा कि गॉव के शिव कुमार शुक्ला को अभियुक्तगण अशोक पाण्डे, आलोक पाण्डे, इच्छांश पाण्डे उर्फ बड़े भैय्या लाठी–डण्डा, बांका, बेलचा से मारपीट रहे थे। इच्छांश पाण्डे उर्फ बड़े भैय्या ने बेल्चा से शिव कुमार शुक्ला के सिर में मारा, जिससे उनके सिर में खून निकलने लगा और वह बेहोश होकर गिर पड़े। यह देखकर वह तथा अन्य लोगों ने शिव कुमार शुक्ला को उठाया और घर ले गये। वहॉ से थाने ले जाया गया। थाने से उन्हें डाक्टरी के लिए भेजा गया। बाद में बेहजम वाले दरोगा जी ने अशोक पाण्डे व आलोक पाण्डे का नाम निकाल दिया था तब वह वादी शिव कुमार शुक्ला के साथ अपर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय आया था, जहॉ पर उसके व सर्वेश चन्द्र के बयान हुये, बयान के बाद उसके हस्ताक्षर कराये गये थे। मारपीट वाली घटना का समय 01:30 बजे दिन का था। मारपीट वाली घटना उसने स्वयं देखी है। मारपीट के समय वह घटनास्थल पर पहुॅच गया था। दौरान जिरह साक्षी ने पृष्ठ–5 पर कथन किया है कि ढखियामदन के अशोक कुमार व आलोक कुमार को वह जानता है। उसे यह नहीं मालुम कि घटना के समय अशोक कुमार भूपतिपुर में पूर्व माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक थे। उसे यह नहीं मालुम कि आलोक कुमार जूनियर हाईस्कूल जम्हौरा में प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात थे। आगे पृष्ठ–6 पर साक्षी ने कथन किया है कि वह अपने घर शिवपुरी से 09:00 या 10:00 बजे के करीब ढखिया मदन के लिए निकला था। उसका ननिहाल था, इसलिए वह ढखिया मदन घूमने के लिए जा रहा था। आगे पृष्ठ–7 पर साक्षी ने कथन किया है कि शिवपुरी से ढखिया मदन वह साइकिल से गया था। शिवपुरी से ढखिया मदन पहुॅचने में उसे ढाई–तीन घण्टे का समय लगा था। शिवपुरी से सीधे वह अपने नाना के घर नहीं पहुॅचा था। गॉव में जैसे ही वह घुसा था, वैसे ही उसे हल्ला–गुहार सुनाई पड़ा था।

वह भागकर घटनास्थल पर पहुॅच गया था। जहॉ पर उसे शोरगुल सुनाई पड़ा था वहीं घटनास्थल है। यह घटनास्थल गॉव के बाहर ही है। पृष्ठ–8 पर साक्षी ने कथन किया है कि जब वह मौके पर पहुॅचा था तब घटनास्थल पर काफी भीड़ थी, शिव कुमार नीचे गिरे पड़े हुये थे और मुल्जिमान मार रहे थे। पृष्ठ–9 पर कथन किया है कि घटना के समय जब मारपीट हो रही थी तब वह पास ही में खड़ा था। उसने अपने नाना शिव कुमार को बचाने की कोशिश की, बीच–बचाव करने में उसे कोई लाठियॉ नहीं लगी। लाठियां उसे इसलिए नहीं लगी क्योंकि वह 02–03 कदम की दूरी पर खड़ा था। आगे पृष्ठ–12 पर साक्षी ने कथन किया है कि यह कहना गलत है कि उसने कोई घटना न देखी हो और न वह मौके पर मौजूद हो। यह कहना भी गलत है कि वह वादी मुकदमा शिव कुमार का सगा नाती होने के कारण गलत बयानी कर रहा है। यह कहना भी गलत है कि वह सिखाने–पढ़ाने से गलत बयानी कर रहा है। यह कहना भी गलत है कि ग्रामीण रंजिश होने के कारण मुल्जिमानों को झूठा फंसा दिये हो। यह कहना भी गलत है कि वादी मुकदमा अपनी बहू को शिक्षा मित्र की नौकरी दिलाना चाहता था, जिनमें मुल्जिमान ने प्रतिकूल आख्या दी हो, उसी कारण फर्जी फंसा दिया गया हो। यह कहना भी गलत है कि घटना 01:30 बजे की न हो। इस प्रकार साक्षी के उपरोक्त बयान के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि साक्षी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसने अभियोजन कथानक का पूर्ण रूप से समर्थन किया है।

**33–** इसी कम में साक्षी प्रदीप कुमार शुक्ला उर्फ सल्लू पी0डब्लू0–3, ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि, घटना दिनॉक–06.05.2013 की है, समय लगभग 01:30 बजे की है। शिव कुमार का चकरोड का विवाद गॉव के ही इच्छांश पाण्डेय, अशोक कुमार व आलोक के साथ चल रहा था। इसी बात को लेकर इच्छांश पाण्डे उर्फ बड़े भईया ने शिव कुमार द्वारा ठेके पर बोये हुये गन्ने के खेत में ट्राली निकाल दी, इस बात का उलाहना देने शिव कुमार, इच्छांश पाण्डेय के घर गये थे। वहीं पर घर के बाहर अचानक उसने मारपीट, गाली–गलौज का शोरगुल सुन देखा कि उसके गॉव के शिव कुमार शुक्ला को अशोक पाण्डे डण्डा लिए हुये हाथ में, आलोक कुमार पाण्डे हाथ में बांका लिए व इच्छांश पाण्डे उर्फ बड़े भैय्या अपने हाथ में बेलचा लिए हुये मारपीट रहे थे और गाली–गलौज कर रहे थे। इच्छांश पाण्डे अपने हाथ में लिए हुये बेलचे से शिव कुमार के सिर पर मारा, जिससे शिव कुमार

शुक्ला के सिर से खून गिरने लगा और बेहोश होकर गिर गये, जिस पर वह सर्वेश, विजय, गारजन और यसकरन आदि बहुत से लोग मौके पर पहुॅच गये और शिव कुमार को बचाया और घर ले गये। दौरान जिरह साक्षी ने कथन किया है कि घटना के समय वह मजदूरी नहीं करता था, खेती पाती करता था, पिताजी की ही खेती देखता था। आगे पृष्ठ–4 पर साक्षी ने कथन किया है कि जब वह मौके पर पहुॅचा था तो शिवकुमार को इच्छांश पाण्डेय, आलोक एवं अशोक कुमार पाण्डेय मार रहे थे। मुल्जिमान अपने–अपने हाथ में लिए औजारों से शिवकुमार को मारपीट रहे थे। आगे पृष्ठ–6 पर साक्षी ने कथन किया है कि यह कहना गलत है कि उसने कोई घटना न देखी हो। यह भी कहना गलत है कि शिवकुमार का खानदानी होने के कारण तथा अशोक कुमार से रंजिश रखने के कारण वह सिखाने–पढ़ाने से गलत बयान कर रहा है। यह सही है कि आलोक कुमार और अशोक कुमार सगे भाई हैं और इच्छांश, अशोक का भतीजा है और आलोक का लड़का है। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण ने शिव कुमार के साथ मारपीट की घटना न की हो। यह कहना गलत है कि शिवकुमार को चोट किसी अन्य तरीके से आयी हो और मुल्जिमान को झूठा फंसा दिया हो। इस प्रकार साक्षी के उपरोक्त बयान के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि यह साक्षी भी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसने अभियोजन कथानक का पूर्ण रूप से समर्थन किया है।

**34–** अभियोजन पक्ष ने उपरोक्त मौखिक साक्ष्य के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में मजरूब शिव कुमार शुक्ला की चिट्ठी मजरूबी, जिसकी पुश्त पर उसकी चिकित्सीय आख्या प्रदर्श क–3, अभिलिखित है, प्रस्तुत की है, जिसे प्रमाणित करते हुये डा0 अमित सिंह पी0डब्लू0–5, ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि, दिनॉक–06.05.2013 को वह जिला चिकित्सालय खीरी में आकस्मिक चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन थाना नीमगॉव जिला खीरी से होमगार्ड शिवभगवान मजरूबी चिट्ठी के साथ मजरूब शिव कुमार को चिकित्सीय परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया था। उसी दिन समय 05:10 पी0एम0 पर उसके द्वारा चोटहिल शिव कुमार शुक्ला का चिकित्सीय परीक्षण किया गया था। मजरूब के शरीर पर निम्न चोटें पायी गयी थी–

चोट सं0–1 कटा हुआ घाव 2.8 सेमी0 **X** 0.5 सेमी0 हड्डी तक गहरा, जो कि सिर के बांयी तरफ स्थित था। घाव के किनारे शार्प कटे हुये थे, रेगुलर थे। घाव से ताजा खून का श्राव हो रहा था। उक्त घाव बांये कान से 06

सेमी0 ऊपर स्थित था। चोट सं0–1 को जरिये निगरानी रखते हुये एक्स–रे की सलाह दी गयी।

<u>चोट सं0–2</u> नीलगू 04 सेमी0 x 02 सेमी0 बांयी तरफ गर्दन पर 02 सेमी0 बांये कान से नीचे स्थित।

<u>चोट सं0–3</u> दर्द की शिकायत, बांये हाथ में। परीक्षण में कोई जाहिरा चोट नहीं पायी गयी।

<u>चोर्ट सं0–4</u> दर्द की शिकायत दाहिने नितम्ब पर परीक्षण में कोई जाहिरा चोट नहीं पायी गयी।

चिकित्सक द्वारा चोटहिल की चोट सं0–1 को जेरे निगरानी रखते हुये एक्स–रे की सलाह दी गयी, चोट सं0–2 सामान्य प्रकृति की बताते हुये चोट सं0–1 किसी सख्त धारदार हथियार से तथा चोट सं0–2 किसी सख्त हथियार से आना तथा सभी चोटें ताजी होना बताया गया है। इस प्रकार साक्षी के उपरोक्त बयान से अभियोजन कथानक का समर्थन होता है।

**35–** चोटहिल का चिकित्सीय परीक्षण करने वाले चिकित्सक साक्षी पी0डब्लू0–5, द्वारा दी गयी उपरोक्त सलाह के अनुक्रम में मजरूब शिव कुमार शुक्ला की चोट सं0–1 का दिनॉक–08.05.2013 को जिला चिकित्सालय लखीमपुर में एक्स–रे किया गया था, जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श क–2 व एक्स–रे प्लेट्स वस्तु प्रदर्श–1, के रूप में पत्रावली पर उपलब्ध हैं, जिन्हें डा0 वी0के0 वर्मा पी0डब्लू0–4, ने प्रमाणित करते हुये अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि, दिनॉक–08.05.2013 को वह जिला चिकित्सालय खीरी में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत था। उक्त दिनॉक को चोटहिल शिव कुमार शुक्ला को होमगार्ड शिव भगवान मिश्रा थाना नीमगांव जिला खीरी उसके पास एक्स–रे हेतु लाये थे व पहचान की थी तथा जिसे ई0एम0ओ0 जिला चिकित्सालय, लखीमपुर–खीरी ने एक्स–रे हेतु संदर्भित किया था। चोटहिल शिव कुमार शुक्ला के सिर का एक्स–रे उसने अपनी देख–रेख में प्लेट सं0–1437 पर एक्स–रे टेक्नीशियन से करवाया था। एक्स–रे प्लेट के अनुसार खोपड़ी (स्कल) के पैराइटल क्षेत्र में कट फ्रैक्चर, एक्स–रे प्लेट में देखा गया था। दौरान जिरह साक्षी ने पृष्ठ–2 पर कथन किया है कि एक्स–रे उसके टेक्नीशियन द्वारा किया गया था। एक्स–रे प्लेट के अनुसार उसने अपनी रिपोर्ट तैयार किया था। मजरूब की चोट उसके सिर पर खड़ी थी या बेड़ी थी, यह रिपोर्ट में अंकित नहीं है, क्योंकि अंकित किया जाना आवश्यक नहीं था। पैराइटल रीज़न पर उसके द्वारा फ्रैक्चर,

रिपोर्ट में अंकित किया गया है। साक्षी द्वारा प्रमाणित एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श क–2, में मजरूब शिव कुमार शुक्ला के पैराइटल रीजन पर कट फ्रैक्चर आना अंकित है।

**36–** इस प्रकार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का एक साथ अवलोकन करने से यह परिलक्षित होता है कि, अभियोजन ने प्रश्नगत घटना को साबित करने हेतु घटना के चुटैल पी0डब्लू0–1, पी0डब्लू0–2, व पी0डब्लू0–3, को न्यायालय में परीक्षित कराया है। विधि अनुसार घायल गवाह को आमतौर पर उस गवाह से ज्यादा महत्व दिया जाता है, जो घायल नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि घायल गवाह को ''स्टैम्प्ड गवाह'' माना जाता है, जिसका अर्थ है कि घटनास्थल पर उसकी मौजूदगी और घटनाओं के बारे में उसका विवरण सत्य होने की अधिक संभावना है, क्योंकि उसे घटना से सीधे सम्बन्धित नुकसान हुआ है। इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम किशन ए0आई0आर0 2017 एस0सी0 पेज–3125, मुकेश बनाम स्टेट ऑफ एन0सी0टी0 ऑफ देहली आदि, ए0आई0आर0 2017 एस0सी0 पृष्ठ–2161(तीन न्यायाधीश पीठ)** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि, घायल गवाह की साक्ष्य पर उस समय तक विश्वास किया जाना चाहिए जब तक उसकी साक्ष्य में उपस्थित प्रमुख विरोधाभाषों एवं विसंगतियों के आधार पर उसे अस्वीकार करने का मजबूत आधार न हो, क्योंकि चुटैल साक्षी की चोटे आना उसकी मौके पर उपस्थिति को साबित करता है। घटना के उपरोक्त साक्षीगण ने अपनी–अपनी साक्ष्य में घटना का जीवन्त दृष्टान्त प्रस्तुत किया है, उनके चारों ओर सत्यता का घेरा बना है, छुट–पुट तथ्यों को छोड़कर साक्षीगण घटना के महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर अड़िग रहे हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का समर्थन चिकित्सीय साक्ष्य से भी होता है। इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से परीक्षित तथ्य के साक्षीगण के साक्ष्य से यह भी स्पष्ट हो चुका है कि अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में एक राय होकर वादी मुकदमा को घातक हथियार से मारपीट कर साधारण व स्वेच्छया घोर उपहति कारित करके आपराधिक मानव वध का प्रयत्न किया गया है। उपरोक्त समस्त विवेचना से प्रश्नगत घटना एकराय होकर सामान्य आशय के अग्रसरण में ही कारित किया जाना स्थापित हो चुका है। तद्नुसार अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा–325, 324, 323 व 308 भा0द0सं0 की विशिष्टियॉ युक्तियुक्त ढंग से संदेह से परे प्रमाणित हैं।

**37–** जहॉ तक अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित आरोप अन्तर्गत धारा–504 भा0द0सं0, की विशिष्टियों के प्रमाणित होने का प्रश्न है। इस संबंध में वादी पी0डब्लू0–1, ने अपनी मौखिक सूचना एन0सी0आर0 प्रदर्श क–1 तथा अन्य साक्षियों ने अपनी–अपनी साक्ष्य में अभियुक्तगण द्वारा गाली–गलौज किये जाने का कोई भी कथन नहीं किया है। इस प्रकार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्तगण द्वारा गाली–गलौज किये जाने के तथ्य का अभाव होने के कारण अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–504 भा0द0सं0, की विशिष्टियॉ युक्तियुक्त ढंग से प्रमाणित नहीं होती।

**38–** इस प्रकार उपरोक्त वर्णित तथ्यों, परिस्थितियों एवं साक्ष्य की विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचती है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा 325, 324, 323, 308 भा0दं0सं0 की विशिष्टियों को युक्ति–युक्त ढंग से संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है, किन्तु अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 504 भा0दं0सं0 की विषिष्टियों को प्रमाणित करने में असफल रहा है। तदनुसार अभियुक्तगण इच्छांश पाण्डे उर्फ बड़े भैय्या, अशोक कुमार व आलोक कुमार पाण्डे धारा 325, 324, 323 व 308 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दोषसिद्ध किये जाने तथा धारा 504 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

**39–** जहॉ तक अभियुक्तगण को उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं का लाभ प्रदान किये जाने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियॉ उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के तथ्य व परिस्थितियों से भिन्न हैं। तदनुसार अभियुक्तगण अपने अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

## आदेश

(i) अभियुक्तगण इच्छांश पाण्डे उर्फ बड़े भैय्या, अशोक कुमार व आलोक कुमार पाण्डे को भा0दं0सं0 की धारा–325, 324, 323 व 308 के अपराध का दोषी पाते हुये दोषसिद्ध किया जाता है।

(ii) अभियुक्तगण इच्छांश पाण्डे उर्फ बड़े भैय्या, अशोक कुमार व आलोक कुमार पाण्डे को भा0दं0सं0 की धारा–504 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

(iii) दोषसिद्ध अभियुक्तगण जेरे जमानत न्यायालय में उपस्थित हैं, उनके व्यक्तिगत बंधपत्र व जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं तथा जामिनदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

(iv) दोषसिद्ध अभियुक्तगण इच्छांश पाण्डे उर्फ बड़े भैय्या, अशोक कुमार व आलोक कुमार पाण्डे को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये।

(v) दोषसिद्ध अभियुक्तगण इच्छांश पाण्डे उर्फ बड़े भैय्या, अशोक कुमार व आलोक कुमार पाण्डे के विद्वान अधिवक्ता ने दण्ड के प्रश्न पर आज ही सुनवाई किये जाने का आग्रह किया व साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने से इन्कार किया। जिला शासकीय अधिवक्ता ''फौजदारी'' को भी दण्ड के प्रश्न पर आज ही सुने जाने में कोई एतराज नहीं है। तद्नुसार दोषसिद्ध अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है। पत्रावली लंच बाद सजा के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पेश हो।

दिनांक–03.06.2026

(शिव कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर–खीरी।

**03.06.2026**

**40–** लंच बाद पत्रावली पेश हुई। दोषसिद्ध अभियुक्तगण इच्छांश पाण्डे उर्फ बड़े भैय्या, अशोक कुमार तथा आलोक कुमार पाण्डे के विद्वान अधिवक्ता एवं जिला शासकीय अधिवक्ता ''दाण्डिक'' को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

**41–** दोषसिद्ध अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि दोषसिद्ध अभियुक्तगण एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उनका यह प्रथम अपराध है, इसलिये उनकी सज़ा में नरमी बरती जाये। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता ''दाण्डिक'' ने कथन किया है कि दोषसिद्ध अभियुक्तगण द्वारा एकराय होकर सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा को घातक हथियार से मारपीट कर साधारण एवं स्वेच्छया घोर उपहति कारित करके आपराधिक मानव वध करने का प्रयास किया गया है, इसलिए उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाये। अभियोजन की ओर से दोषसिद्ध अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

**42–** अतः पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्य, परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति तथा दोषसिद्ध अभियुक्तगण की आयु को दृष्टिगत रखते हुये, यह न्यायोचित प्रतीत होता है कि दोषसिद्ध अभियुक्तगण इच्छांश पाण्डे उर्फ बड़े भैय्या, अशोक कुमार तथा आलोक कुमार पाण्डे, को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325 के अन्तर्गत तीन–तीन वर्ष के सश्रम कारावास, धारा 324 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दो–दो वर्ष के सश्रम कारावास, धारा 323, भा0दं0सं0 के अन्तर्गत छः–छः माह के सश्रम कारावास तथा धारा–308 भा0द0सं0, के अन्तर्गत पॉच–पॉच वर्ष के सश्रम कारावास व कुछ अर्थदण्ड से दण्डित किया जाये, इसी से न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो जायेगी।

<u>**दण्डादेश**</u>

**(i)** दोषसिद्ध अभियुक्तगण इच्छांश पाण्डे उर्फ बड़े भैय्या, अशोक कुमार तथा आलोक कुमार पाण्डे को भा0द0सं0 की धारा–325 के अपराध के लिए तीन–तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं मु0–5,000–5,000/–रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। दोषसिद्ध अभियुक्तगण द्वारा अर्थदण्ड न जमा करने पर उनको दो–दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

**(ii)** दोषसिद्धगण इच्छांश पाण्डे उर्फ बड़े भैय्या, अशोक कुमार तथा आलोक कुमार पाण्डे को भा0द0सं0 की धारा 324 के अपराध के लिए दो–दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं मु0–5,000–5,000/–रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। दोषसिद्ध अभियुक्तगण द्वारा अर्थदण्ड न जमा करने पर उनको एक–एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

**(iii)** दोषसिद्ध अभियुक्तगण इच्छांश पाण्डे उर्फ बड़े भैय्या, अशोक कुमार तथा आलोक कुमार पाण्डे को भा0द0सं0 की धारा 323 के अपराध के लिए छः–छः माह के सश्रम कारावास की सजा एवं मु0–500–500/–रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। दोषसिद्ध अभियुक्तगण द्वारा अर्थदण्ड न जमा करने पर उनको पन्द्रह–पन्द्रह दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

**(iv)** दोषसिद्ध अभियुक्तगण इच्छांश पाण्डे उर्फ बड़े भैय्या, अशोक कुमार तथा आलोक कुमार पाण्डे को भा0द0सं0 की धारा 308 के अपराध के लिए पॉच–पॉच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं मु0–10,000–10,000/–रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। दोषसिद्ध अभियुक्तगण द्वारा अर्थदण्ड न जमा करने पर उनको तीन–तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

**(v)** दोषसिद्ध अभियुक्तगण द्वारा इस अभियोग में जेल में बिताई गई अवधि, सजा में समायोजित की जायेगी तथा सभी सजायें साथ–साथ चलेंगी।

**(vi)** न्याय की मंशा को दृष्टिगत रखते हुये दोषसिद्ध अभियुक्तगण पर अधिरोपित अर्थदण्ड की कुल धनराशि में से आधी धनराशि, चोटहिल/वादी मुकदमा को प्रतिकर के रूप में दिया जाए।

**(vii)** दोषसिद्ध अभियुक्तगण को यह अवगत करा दिया गया है कि उन्हें निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील करने का अधिकार प्राप्त है, वे जेल अधिकारियों के माध्यम से अथवा व्यक्तिगत रूप से अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

**(viii)** दोषसिद्ध अभियुक्तगण को यह भी अवगत करा दिया गया है कि वे विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाने वाली विधिक सहायता के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

**(ix)** दोषसिद्ध अभियुक्तगण को सजायाबी वारण्ट बनाकर जिला कारागार, लखीमपुर–खीरी सजा भुगतने हेतु भेजा जाये।

**(ix)** निर्णय की एक–एक प्रति दोषसिद्ध अभियुक्तगण को निःशुल्क प्रदान की जाये।

दिनांक–03.06.2026

(शिव कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर–खीरी।

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एंव दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–03.06.2026

(शिव कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर–खीरी।
ID No. UP5743

Digitally signed by SHIVA KUMAR SINGH
Date: 2026.06.06 16:07:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court